पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स० श्री जनार्दन मांझी, स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सोनी, स०वि०स०	"राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर अनुदान का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक जिले में शिविर लगाकर तथा शिविर के अतिरिक्त कृषि कार्यालयों द्वारा भी अनुदान का भुगतान दुकानदारों को किया जाता है । सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में जमुई एवं बांका जिला के कृषि पदाधिकारियों एवं दुकानदारों की मिलीभगत से घोर अनियमितता बरती जा रही है । दोनों जिलों के दुकानदारों द्वारा किसानों की फर्जी सूची बनाकर कृषि अधिकारियों को दिया जा रहा है और कृषि अधिकारियों द्वारा अनुदान की राशि फर्जी किसानों के नाम स्वीकृत कर दुकानदारों को दी जा रही है । शिकायत की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है । अतः बांका एवं जमुई जिला में कृषि यंत्र, उपकरण आदि विभिन्न मदों में दिये गये अनुदानों की जांच कराकर फर्जीवाड़ा करनेवाले दुकानदारों एवं अधिकारियों पर कार्रवाई किये जाने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सोनेलाल हेम्ब्रम, स०वि०स० श्री बृज किशोर बिन्द, स०वि०स० श्री निरंजन राम, स०वि०स०	"बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन सं०-44 से 84/2014 सहायक प्रोफेसरों के कुल 3364 पदों की नियुक्ति के लिए प्रकाशित किया गया है, जिसमें (01) एक प्रतिशत आरक्षण के अनुसार अनु० जनजाति का 34 पदों के विरूद्ध मात्र 22 पद ही जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है । इतिहास, हिन्दी, भुगोल, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, श्रम कल्याण, वाणिज्य, भौतिक एवं गणित आदि विषयों के पदों में आरक्षण नहीं दिया गया है एवं निर्धारित रोस्टर का भी अनुपालन नहीं किया गया है । अतः अनु० जनजाति के बैकलॉग पदों के साथ-साथ उपरोक्त कुल विज्ञापित पदों में भी 01 प्रतिशत के आधार पर आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-8/15- 512 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/3/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-8/15- 512 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

21/3/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

21/3/15